लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
097/2021 (GCMS 2021/456)	18.10.2021	24.11.2021

अनवान

श्रीमति सोहनीदेवी पत्नि नानुजी पुत्री नन्दा लोढा निवासी पिपली, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये अधिवक्ता गोपाल आचार्य एडवोकेट निवासी मकान नंबर 368, उम्मेद चौक, जोधपुर

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.07.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./097/2021(सू.अ.)(24.11.2021) से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.11.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 24.11.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

जरिये पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./097/2021(सू.अ.)(24.11.2021) से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/620 दिनांक 22.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. यह कि प्रार्थी श्रीमति सोहनीदेवी पत्नि श्री नानु पुत्री नन्दा लोढा निवासी पिपली गुजरान तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2021 को प्रस्तुत किया, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 28.07.2021 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भदेसर के पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2021/35 दिनांक 24.09.2021 से कुल किता 06 के प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/30 दिनांक 06.10.2021 से प्रार्थी को निःशुल्क भिजवाई गई। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को भिजवाई गई, परन्तु प्रार्थी द्वारा नहीं लिये जाने से पुनः इस कार्यालय में दिनांक 09.11.2021 को प्राप्त हुई।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/620 दिनांक 22.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भदेसर से पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2021/35 दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्राप्त कर पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/30 दिनांक 06.10.2021 से प्रार्थी को प्रेषित की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स के अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना भिजवाई गई थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा नहीं लिये जाने से पुनः दिनांक 09.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुई।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कमेन्ट्स के साथ प्रेषित अनुलग्नों के साथ प्रार्थी को प्रेषित सूचना के रजिस्टर्ड लिफाफे की छायाप्रति भी उपलब्ध हैं। जिस पर प्राप्त कर्त्ता नहीं मिला की टिप्पणी अंकित हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि प्राप्त कर्त्ता द्वारा सूचना नहीं लिये जाने की टिप्पणी उचित नहीं हैं अपितु प्राप्त कर्त्ता अर्थात् प्रार्थीया आवेदन पत्र में वर्णित पते पर उपस्थित नहीं मिली। जिससे सूचना का रजिस्टर्ड लिफाफा पुनः कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि ऑफिस कानूनगो भदेसर

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 में प्रभारी शाखा सूचना का अधिकार अधिनियम, भदेसर को अवगत कराया गया कि खसरा पत्रक एवं पर्चा खतौनी भूप्रबंध विभाग द्वारा तहसील कार्यालय में नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में खसरा पत्रक एवं पर्चा खतौनी की भी प्रतियां चाही गई थी। इस संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी, सहायक भूप्रबंध अधिकारी भीलवाड़ा (द्वितीय) से प्राप्त कर सकते थें अथवा इस बाबत् आवेदन को आंशिक स्थानांतरित कर सकते थे। जो कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित करते समय चूक हुई हैं। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील अपीलांट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अपीलार्थी को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं दिलाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि वह पुनः सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भदेसर से एवं सहायक भूप्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा (द्वितीय) से स्वयं वांछित सूचनाएं प्राप्त कर प्रार्थीयां को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निशुल्क प्रेषित करते हुए पालना से अवगत करावे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>24.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official